उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

I/11961/2025 कार्यवी एवं विनियम/पाकालि/25 Comp.No. 18423 24-05-2025

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.02.2025 को सम्पन्न 211(33)वीं बैठक में पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली-1984 (यथा संशोधित)" के परिषदादेश सं0-335-Regulation-23/SEB-93-ASR-85 Dated 26-02-1994 में (स्तम्भ-1) के अनुसार उपलब्ध व्यवस्था तथा पदोन्नति हेतु वर्तमान में अधिष्ठान इकाई द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया को, महाप्रबन्धक (लेखा) के एक रिक्त पद को विद्युत सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयन वर्ष (2024-25) के लिए भरे जाने हेतु, एतद्द्वारा स्तम्भ-2 की व्यवस्था से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

Source of Recruitment According Existing Regulation "UPSEB Accounts (Officers) Service Regulations, 1984 (as Amended) (परिषदादेश सं0-335-Regulation-23/SEB-93-ASR-85 Dated 26-02-1994)	**New Recommendation to substitute the existing Regulation**
स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
8. *Controller of finance and/or Accounts and/or Audit by promotion from Financial Advisor and/or Chief Account Officer and/or Chief Audit Officer who have put in a minimum of 4 years service as such ....100% *कारपोरेशन आदेश सं0-19-ज0श0-08/ पाकालि/ दिनांक 04.02.2000 द्वारा महाप्रबन्धक के पदनाम में परिवर्तित।	8-(i) महाप्रबन्धक के 50 प्रतिशत पद उप महाप्रबन्धक पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने चयन वर्ष की 01 जुलाई को 04 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो। (ii) शेष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की जायेगी।
Direct recruitment to the posts GM (Accounts) shall be made through an Interview which will be held at such place as may be notified by the	महाप्रबन्धक (लेखा) के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम से चयनित किया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंको का होगा।

Appointing Authority from time to time.	In case of large number of applications the shortlisting of Candidates be done on the basis of one or more of the following parameters :- 1. Clearance of C.A. or C.M.A course with in a period of five years from the date of registration in CA Inter. In computing the five years, the period from date of registration till date of final examination is taken into account and the period of result from date of final examination till date of declaration of result will not be taken into consideration. 2. Marks obtained during Graduation . 3. Relevant work experience in power sector, in distribution, transmission or utility.

(ii) उपरोक्त संशोधनोपरान्त ''उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली-1984 (यथा संशोधित)'' उक्त सीमा तक, चयन वर्ष 2024-25 में लेखा संवर्ग (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) के महाप्रबन्धक (लेखा) के पद पर नियुक्ति के लिए, इस परन्तुक के साथ संशोधित मानी जायेगी कि चयन वर्ष 2024-25 के उपरान्त पूर्व में प्रचलित व्यवस्थायें उक्त पद हेतु स्वमेव पुर्नस्थापित हो जायेगी। उक्त के अतिरिक्त विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

(iii) कार्यालय ज्ञाप सं0-735-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/22 दिनांक 08.09.2022 के अन्तर्गत महाप्रबन्धक (लेखा) के पद को भी शामिल मानते हुए 'प्रशिक्षण' की शिथिलता उक्त पद पर नियुक्त कार्मिक हेतु लागू होगी।

<u>**निदेशक मण्डल की आज्ञा से,**</u>

<u>I/11961/2025 काविनी एवं विनियम/पाकालि/25 Comp.No. 18423 24-05-2025</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0परिसर, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव-01/02, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दि0 13.02.2025 को सम्पन्न 211(33)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

29/05/2025

(अंजू)

अनुसचिव (काविनी एवं विनियम)